राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/36550 जयपुर, दिनांक : 29.06.22

उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... (समस्त)

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजनों के मेघावी गरीब अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग करवाकर उनकों सफल बनाया जाना है।

इस सम्बंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 30.04.2022 को विभागीय समीक्षा में दिये गये निर्देशानुसार अच्छी कोचिंग संस्थाओं को प्रोत्साहित कर एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया वर्ष पर्यन्त जारी रखी जावे।

अतः आपके जिले की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं को प्रोत्साहित कर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत उक्त परीक्षाओं की कोचिंग निःशुल्क करवाये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करावे ताकि उक्त वर्गो के गरीब मेघावी अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग करवाई जा सकें।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/36551-55 जयपुर, दिनांक : 29.06.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
2. निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

(लोकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)